2- **कुष्ठावस्था पेंशन योजना**

कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग हुए ऐसे सभी दिव्यांगजन जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तथा जिनकी आय गरीबी की रेखा वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में रू0 46080-तथा शहरी क्षेत्रों में रू0 56460- प्रति परिवार प्रति-वर्ष की सीमा के अन्दर हैं एवं शासन द्वारा संचालित अन्य कोई पेंशन का लाभ न प्राप्त कर रहे हो को प्रदेश से सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र (चाहे दिव्यांगता का प्रतिशत कुछ भी हो) के आधार पर रू0 **3000** प्रति माह प्रति लाभार्थी की दर से अनुदान दिया जाता है।

आवेदन की प्रक्रिया- निम्नलिखित प्रपत्र होने आवश्यक हैं -

- कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र (प्रतिशत की सीमा नहीं
- गरीबी की रेखा के नीचे का आय प्रमाण-पत्र
- आयु की न्यूनतम्/अधिकतम् की सीमा नहीं है।
- ग्रामीण क्षेत्र की दशा में ग्राम सभा का प्रस्ताव/शहरी क्षेत्र में यह प्रक्रिया उपजिलाधिकारी के माध्यम से सम्पन्न होती है।
- बैंक पासबुक की छाया-प्रति

लाभ पाने के लिए पात्र दिव्यांगजन को सर्वप्रथम http://sspy-up.gov.in in पर अपना आवेदन करना होता है जिसके पश्चात जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के सत्यापनोपरान्त पात्र दिव्यांगजन को इस योजना से लाभान्वित किया जाता है।

भुगतान की प्रक्रिया- पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली (ई-पेमेंट के माध्यम से अनुदान की धनराशि लाभार्थियों के बैंक खातों में अन्तरित की जाती है।